Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / टी.ए. / 3344 / 2006 / चित्तौडगढ

1– श्रीमती चांदी पुत्री श्री जवाहर मल उर्फ जवारू उर्फ जवेरा जाट
2– नन्दूबाई पुत्री श्री जवाहरमल उर्फ जवारू उर्फ जवेरा जाट
3– श्रीमती संतोष पुत्री श्री जवाहरमल उर्फ जवारू उर्फ जवेरा जाट
4– श्रीमती बाबू पुत्री श्री जवाहरमल उर्फ जवारू उर्फ जवेरा जाट
निवासियान अनोपपुरा, तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ।

.....अपीलान्टस

बनाम

1– श्रीमती सोहनी पत्नी श्री माधव लाल जाट
2– श्री माधव लाल मुतबन्ना पुत्र जवाहरमल उर्फ जवारू उर्फ जवेरा जाट
3– श्रीमती केसर पुत्री श्री जवाहरमल उर्फ जवारू उर्फ जवेरा जाट
निवासियान अनोपपुरा, तहसील कपासन, तहसील चित्तौडगढ
4– राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, कपासन, जिला चित्तौडगढ।

.....रेस्पोन्डेन्टस

खण्ड–पीठ

श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य

उपस्थितः–

श्री जगदम्बा प्रसाद माथुर, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री अभिषेक शर्मा, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

दिनांक : 23 अप्रैल, 2018

निर्णय

1– यह अपील अन्तर्गत धारा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ के निर्णय दिनांक 25–4–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ ने अपने समक्ष जैरकार अपील संख्या–134/2005 शीर्षक श्रीमती सोहनी आदि बनाम श्रीमती चांदी आदि को स्वीकार कर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, कपासन के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–4–2005 को निरस्त कर प्रकरण कुछ निर्देशों के साथ अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है।

<u>अपील / टी.ए. / 3344 / 2006 / चित्तौडगढ</u>
श्रीमती चांदी आदि बनाम श्रीमती सोहनी आदि

2– अपील के संक्षिप्त तथ्यानुसार वादीगण / वर्तमान अपीलान्ट्स ने एक दावा संख्या–96/04 अन्तर्गत धारा–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, शीर्षक श्रीमती चांदी आदि बनाम श्रीमती गटटूबाई आदि, न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, कपासन के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि दावा के पैरा संख्या–1 व 2 में वर्णित भूमि वादीगण के पिता जवारू जाट उर्फ जवेरा की खातेदारी भूमि थी। जवारू की मृत्यु हो जाने के पश्चात उपरोक्त वर्णित भूमि का विरासतन इन्तकाल केवल प्रतिवादी संख्या–1 श्रीमती गटटूबाई के नाम से कर दिया गया। वादीगण / अपीलान्ट्स मृतक जवारू की पुत्रियां होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। इसलिये दावा स्वीकार किया जाकर वादीगण / अपीलान्ट्स को मृतक जवारू की भूमि में हक व हिस्सा दिलवाया जावे। दावा में प्रतिवादी श्रीमती गटटूबाई बावजूद सूचना अनुपस्थित रही। विद्वान उप खण्ड अधिकारी, कपासन ने अपने एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–4–2005 के द्वारा दावा को स्वीकार कर दावा डिक्री कर दिया। विद्वान उप खण्ड अधिकारी, कपासन के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–4–2005 के विरूद्ध अपीलान्ट / वर्तमान रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2 ने प्रथम अपील संख्या–134/05 शीर्षक श्रीमती सोहनी आदि बनाम श्रीमती चांदी आदि बतौर तृतीय पक्षकार न्यायालय राजस्व राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलान्ट संख्या–2 / रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 माधवलाल मृतक जवारू का दत्तक पुत्र है, इस कारण से मृतक जवारू की भूमि में से उसका हक व अधिकार है। दावा संख्या–96/04 में उसे पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलान्ट संख्या–1 / वर्तमान रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 का यह तर्क था कि श्रीमती गटटूबाई ने दावा में वर्णित खसरा नम्बर–1235 व 1238 कुल किता 2 कुल क्षेत्रफल 1.12 हेक्टेयर का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कर दिया है। राजस्व रिकार्ड में उसका नाम अंकित हो चुका है। इसलिये वह उप खण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–4–2005 से व्यथित पक्षकार है। विद्वान उप खण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–4–2006 के द्वारा अपील को स्वीकार कर उप खण्ड अधिकारी, कपासन का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–4–2005 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण कुछ निर्देशों के साथ अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। विद्वान राजस्व प्राधिकारी, चित्तौडगढ के निर्णय दिनांक 25–4–2006 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की मुख्य बहस यह है कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ द्वारा अपील संख्या–134/05

का निर्णय इस आधार पर किया गया है कि अपीलान्ट संख्या–2 / वर्तमान रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 मृतक जवारू का दत्तक पुत्र है। जबकि पत्रावली पर दत्तक पुत्र होने का कोई भी आधार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, केवल कल्पना के आधार पर किसी अपील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। श्रीमती गटटूबाई को मृतक जवारू की सम्पूर्ण भूमि प्राप्त नहीं हो सकती है। श्रीमती गटटूबाई ने अनाधिकृत रूप से भूमि का विक्रय अपीलान्ट संख्या–1 / रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 को किया गया है। इस प्रकार के हस्तान्तरण से क्रेता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण बिन्दूओं को नजरअन्दाज करते हुये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25–4–2006 पारित किये गये हैं। अपील को सरसरी तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ का निर्णय दिनांक 25–4–2006 निरस्त किया जावे।

5– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2 की मुख्य बहस यह है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 माधवलाल मृतक जवारू का दत्तक पुत्र है तथा दत्तक पुत्र होने के कारण मृतक जवारू की भूमि में अपना हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 सोहनी देवी ने गटटूबाई से 1.12 हेक्टेयर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की है। राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार अंकित है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2 को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–4–2005 प्राप्त कर ली। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ ने अपीलाधीन निर्णय से प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया है। इसलिये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी, बहस पर मनन किया गया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन किया गया।

7– इस बिन्दू पर कोई विवाद नहीं है कि दावा के पैरा संख्या–1 व 2 में वर्णित भूमि जवारू जाट की खातेदारी भूमि थी। वादीगण / वर्तमान अपीलान्ट को किसी भी पक्षकार द्वारा यह नहीं कहा गया है कि वे जवारू की पुत्रियां नहीं है। जवारू की मृत्यु के पश्चात जवारू की सम्पत्ति पुत्रियां तथा पत्नी दोनों को ही बराबर बराबर प्राप्त होगी। श्रीमती गटटूबाई अकेली भूमि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 अपने आपको मृतक जवारू का दत्तक पुत्र बताता है, परन्तु रिकार्ड पर ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 मृतक जवारू का दत्तक पुत्र हो। श्रीमती गटटूबाई सम्पूर्ण भूमि की मालिक नही है तथा विशेष हिस्सा विक्रय करने की भी

अपील / टी.ए. / 3344 / 2006 / चित्तौडगढ
श्रीमती चांदी आदि बनाम श्रीमती सोहनी आदि

अधिकारी नहीं है। ऐसे विक्रय से रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 श्रीमती सोहनी आदि को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। विद्वान अपील अधिकारी ने अपीलान्ट / रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2 को व्यथित पक्षकार मानने में त्रुटि की है। अपीलान्ट / रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2 विद्वान उप खण्ड अधिकारी, कपासन के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–4–2005 से व्यथित पक्षकार नहीं होने के कारण अपील प्रस्तुत करने की अधिकारी नहीं है। विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौडगढ ने विधि विपरीत अपने निर्णय दिनांक 25–4–2006 पारित किया है।

8– फलस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ का निर्णय दिनांक 25–4–2006 निरस्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष